'उत्तरांचल जैव विविधता बोर्ड, देहरादून' की द्वितीय बैठक दिनांक 13.09.10 के कार्यवृत

'उत्तरांचल जैव विविधता बोर्ड' की द्वितीय बैठक **डॉ0 बी0एस0 बरफाल अध्यक्ष, उत्तरांचल जैव विविधता बोर्ड, देहरादून** की अध्यक्षता में देहरादून में **एफ0आर0डी0सी0 के सचिवालय** स्थित सभाकक्ष में दिनांक 13.09.10 को सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों व विशेष आमंत्रियों की सूची संलग्न है। **सदस्य–सचिव, उत्तरांचल जैव विविधता बोर्ड, देहरादून** के पत्र संख्या–85/जै0वि0 बोर्ड, दिनांक 03.09.10 द्वारा बैठक का 'एजेण्डा नोट' सभी आमंत्रियों को प्रेषित कर दिया गया था।

बैठक में समुचित चर्चा हुई और 'एजेण्डा' बिन्दुवार निर्णय लिये गये। विवरण निम्न है :–

1. *एजेण्डा नं0–1 :– 'अध्यक्ष' द्वारा 'बोर्ड' के 'सदस्यों' व 'विशिष्ट आमंत्रियों' का स्वागत एवं 'बोर्ड' की गतिविधियों से परिचित कराना ।*

डॉ0 बी0एस0 बरफाल, अध्यक्ष, उत्तरांचल जैव विविधता बोर्ड, देहरादून ने बैठक में सभी आमंत्रियों का स्वागत करते हुए **बोर्ड** की गतिविधियों से उन्हें परिचित कराया। उन्होंने विशेष रूप से **जैव विविधता अधिनियम, 2002** और उसके अन्तर्गत की जाने वाली कार्रवाही की जानकारी दी। **डॉ0 बी0एस0 बरफाल** ने **भारत** में होने वाले **कॉन्फ्रेन्स ऑफ पार्टीज (COP-11)** की भी जानकारी दी जिसके अन्तर्गत वर्ष 2012 में विश्व के **193 देश, नई दिल्ली** में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर **जैव विविधता संरक्षण** और तद्सम्बन्धी मामलों में विस्तृत चर्चा कर महत्वपूर्ण निर्णय लेने हेतु एकत्रित होंगे। नई दिल्ली में होने वाले इस आयोजन के अवसर पर **भारत** को **कॉन्फ्रेन्स ऑफ पार्टीज** की अध्यक्षता का दायित्व अगले 02 वर्षों के लिए सौंपा जाना प्रस्तावित है। अतः यह अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाता है कि वर्ष 2012 में प्रस्तावित **कॉन्फ्रेन्स ऑफ पार्टीज** से पूर्व **भारत** में **जैव विविधता अधिनिमय, 2002** के प्रावधानों के अनुसार समुचित प्रगति सुनिश्चित कर ली जाये। इस क्रम में जैव विविधता सम्पन्न उत्तराखण्ड राज्य में भी जैव विविधता संरक्षण और इससे सम्बन्धित मामलों में अच्छी उपलब्धि सुनिश्चित किये जाने की नितान्त आवश्यकता है।

2. *एजेण्डा नं0–2 :– 'श्री ए0आर0 सिन्हा, मुख्य वन संरक्षक, कार्ययोजना' (व 'बोर्ड' के पूर्व 'सदस्य–सचिव') द्वारा वर्ष 2006 में 'बोर्ड' की स्थापना से मार्च 2010 तक 'बोर्ड' द्वारा किये गये कार्यों की जानकारी देना।*

श्री ए0आर0 सिन्हा, मुख्य वन संरक्षक, कार्ययोजना (बोर्ड के प्रथम **सदस्य–सचिव), हल्द्वानी** ने **बोर्ड** की वर्ष 2006 में स्थापना से लेकर मार्च 2010 तक (अपने कार्यकाल के दौरान) **बोर्ड** की गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने अवगत कराया कि पूर्व में **बोर्ड** की केवल एक बैठक (वर्ष 2006 में) हुई है। प्रदेश में 33 **जैव विविधता प्रबन्धन समितियाँ, कुमाँऊ** क्षेत्र में बनाई जा चुकी हैं और 'बायोसर्वे' करवाकर 235 **लोक जैव विविधता दस्तावेज़** तैयार करवाये जा चुके हैं।

3. *एजेण्डा नं0–3 :– 'उत्तरांचल जैव विविधता बोर्ड' की संरचना के पुनरीक्षण के प्रस्ताव पर 'बोर्ड' का अनुमोदन प्राप्त करना।*

'बोर्ड' की संरचना का जो प्रस्ताव **अध्यक्ष, उत्तरांचल जैव विविधिता बोर्ड, देहरादून** ने अपने पत्र संख्या–10/जै0वि0बोर्ड/संरचना दिनांक 10.05.10 द्वारा **शासन** को भेजा है उसके क्रम में **बोर्ड** द्वारा संस्तुति की गयी कि **शासन** उस पर शीघ्र निर्णय लेकर आवश्यक अधिसूचना निर्गत करने का कष्ट करे।

4. *एजेण्डा न0–4 :– 'उत्तरांचल जैव विविधता बोर्ड' के नियमावली के प्रस्ताव पर 'बोर्ड' का अनुमोदन प्राप्त करना।*

बोर्ड द्वारा **शासन** को प्रेषित **उत्तराखण्ड जैव विविधता नियमावली–2010** के 'ड्राफ्ट' पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

5. *एजेण्डा नं0–5 :– 'जैव विविधता अधिनियम 2002' की 'धारा–41(1)' के अनुसार प्रत्येक 'स्थानीय निकाय' के स्तर पर जैव विविधता प्रबन्ध समितियों का गठन किया जाना है। 'स्थानीय निकाय' के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध जैव विविधता का दस्तावेजीकरण (जैव विविधता पंजिकाओं के रूप में) भी किया जाना है जिस कार्य में स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के विज्ञान प्रभागों के प्राध्यापकों/छात्रों का विशेष सहयोग लिया जाना है। इस पर विचार–विमर्श कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु 'बोर्ड' के निर्देश प्राप्त करना।*

प्रमुख सचिव–शहरी विकास व **सचिव–पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन** से अपेक्षा की गयी कि वे प्रदेश में प्रत्येक **स्थानीय निकाय** के स्तर पर **जैव विविधता प्रबन्धन समितियाँ** बनाये जाने में **बोर्ड** को यथासम्भव सहयोग प्रदान करेंगे। **सचिव–उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन** से अपेक्षा की गयी कि वे प्रत्येक **जैव विविधता प्रबन्धन समिति** के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत पायी जाने वाली **जैव विविधता** का अभिलेखीकरण कर **जैव विविधता पंजीकायें** ('लोक जैव विविधता दस्तावेज') तैयार किये जाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

6. *एजेण्डा नं0–6 :– 'बोर्ड' के वर्ष 2010–11 हेतु प्रस्तावित बजट – जो अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन तथा शासन को 'अध्यक्ष, बोर्ड' की ओर से भेजा गया है – पर 'बोर्ड' का अनुमोदन प्राप्त करना।*

बोर्ड के **वित्तीय वर्ष 2010–11** के व्यय हेतु **रू0 156.00 लाख** (रूपये एक सौ छप्पन लाख मात्र) के बजट–प्रस्ताव पर **बोर्ड** द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। **शासन** से बजट के सापेक्ष आवश्यक धनराशि शीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध भी **बोर्ड** द्वारा किया गया।

7. *एजेण्डा नं0–7 :– 'बोर्ड' के कार्यालय हेतु किराये का भवन लिए जाने पर 'बोर्ड' का अनुमोदन प्राप्त करना।*

बोर्ड के कार्यालय हेतु **प्लॉट सं0 108, वसन्त विहार–फेज़–II, देहरादून** में स्थित **डॉ0 डी0के0 तिवारी** के भवन को किराये पर लिये जाने के प्रस्ताव पर **बोर्ड** द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

8. *एजेण्डा नं0–8 :– बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्य–सचिव के प्रयोगार्थ दो स्टाफ कार क्रय किये जाने पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना।*

बोर्ड के **अध्यक्ष** एवं **सदस्य–सचिव के** प्रयोगार्थ 02 स्टाफ कार (एम्बेस्डर/इण्डिगो) के क्रय किये जाने के प्रस्ताव पर **बोर्ड** द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

9. *एजेण्डा नं0–9 :– 'बोर्ड' के कार्यों के सुचारू रूप से संचालन हेतु 'सर्विस प्रोवाईडर'/व्यक्तिगत संविदा/प्रतिनियुक्ति के माध्यम से 'स्टाफ' रखे जाने के प्रस्ताव पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना।*

बोर्ड के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ***प्रथम चरण*** में फिलहाल निम्नानुसार स्टाफ की स्वीकृति **बोर्ड** द्वारा प्रदान की गयी :–

(1) <u>कार्यालय स्टाफ</u> :–
प्रशासनिक अधिकारी – 01,
लेखाधिकारी – 01,
व्यैक्तिक सहायक/कम्प्यूटर ऑपरेटर – 03,
मिनिस्टीरियल कार्मिक – 04,
ड्राईवर – 02,
डाकिया/चौकीदार/अर्दली/खलासी – 07।
(2) <u>तकनीकी अधिकारी/प्रबन्धक</u> :– 03 ।
(3) <u>तकनीकी सहायक</u> :– 04।

उपरोक्त स्वीकृति को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार सेवाएं, 'सर्विस प्रोवाईडर'/व्यक्तिगत संविदा/प्रतिनियुक्ति के माध्यम से ले ली जायें।

10. *<u>एजेण्डा नं0–10 :– 'बोर्ड' द्वारा स्वीकृत बजट के अन्तर्गत 'बोर्ड' के 'अध्यक्ष' को सभी प्राक्कलनों/कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति देने हेतु प्राधिकृत करने के प्रस्ताव पर 'बोर्ड' का अनुमोदन प्राप्त करना। साथ ही 'बोर्ड' के 'अध्यक्ष' को अपने अधिकारों को 'बोर्ड' के 'सदस्य–सचिव' या अन्य उपयुक्त अधिकारी/कर्मचारी को प्रतिनिधायन (delegate) करने के अधिकार पर 'बोर्ड' का अनुमोदन प्राप्त करना।</u>*

बोर्ड द्वारा स्वीकृत बजट के अन्तर्गत सभी प्राक्कलनों/कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु **बोर्ड** के **अध्यक्ष** को प्राधिकृत किया गया। साथ ही **बोर्ड** के **अध्यक्ष** को अपने अधिकारों को **बोर्ड** के **सदस्य–सचिव** या अन्य उपयुक्त अधिकारी/कर्मचारी को प्रतिनिधायन (delegate) करने हेतु भी **बोर्ड** द्वारा अधिकृत किया गया।

11. *<u>एजेण्डा नं0–11 :– 'उत्तरांचल जैव विविधता बोर्ड (Uttranchal State Biodiversity Board)' का नाम 'उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड (Uttarakhand Biodiversity Board)' किये जाने पर 'बोर्ड' का अनुमोदन प्राप्त करना।</u>*

राज्य का नाम **उत्तरांचल** से **उत्तराखण्ड** हो जाने के फलस्वरूप **उत्तरांचल जैव विविधता बोर्ड (Uttranchal State Biodiversity Board)** का नाम **उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड (Uttarakhand Biodiversity Board)** किये जाने के प्रस्ताव पर **बोर्ड** द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

12. *<u>एजेण्डा नं0–12 :– 'अध्यक्ष' की अनुमति से अन्य बिन्दु।</u>*

कोई नहीं।

बैठक में निम्न महत्वपूर्ण सुझाव भी प्राप्त हुए :–

(1) **श्री राजीव गुप्ता, प्रमुख सचिव/वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन** द्वारा सुझाव दिया गया कि **बोर्ड** के कार्यों के संचालन हेतु पहले कम–से–कम स्टाफ रखा जाये और कार्यों में वृद्धि होने पर स्टाफ की संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जाये। उन्होंने 'सर्विस प्रोवाईडर' के माध्यम से सेवा लिये जाने की स्थिति में 'उपनल' से भी सेवाएं लिये जाने हेतु विचार किये जाने का सुझाव दिया।

(2) **श्री विनोद फोनिया, सचिव, उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड शासन** द्वारा सुझाव दिया गया कि **जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर** के स्तर पर जड़ी–बूटियों के पारम्परिक ज्ञान (Traditional Knowledge) रखने वाले वैद्यों व ग्राम वासियों से सम्बन्धित सूचनाएं उपलब्ध हैं। सूचना का परीक्षण कर 'लोक जैव विविधता दस्तावेजों' (People's Biodiversity Register)

बनाने में उसका उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि **सगन्ध पादप अनुसंधान केन्द्र, सेलाकुई** द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं। जैविक सम्पदा के संरक्षण एवं उपयोग के क्षेत्र में इस संस्था से भी जानकारी व सहयोग लिया जाये।

(3) **श्री सुशान्त पटनायक, अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन** ने अपना मत व्यक्त किया कि जैव विविधता के संरक्षण विकास एवं उपयोग से सम्बन्धित प्रदेश के अन्य विभागों से भी **बोर्ड** सम्पर्क स्थापित कर उनका सहयोग लेवे।

(4) **डॉ0 आर0बी0एस0 रावत, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड,** ने सुझाव दिया कि उत्तराखण्ड की 'जैविक सम्पदा' की 'मैपिंग' की जानी चाहिए ताकि इसके संरक्षण, विकास और उपयोग हेतु सुदृढ रणनीति बनाई जा सके। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि जैव विविधता से सम्बन्धित Access and Benefit Sharing (ABS) के क्षेत्र में ICIMOD, Nepal द्वारा एक उपयोगी 'मॉडल' विकसित किया गया है जिसका अध्ययन कर लाभ लिया जा सकता है।

(5) **डॉ0 श्रीकान्त चन्दोला, प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तराखण्ड** द्वारा सुझाव दिया गया कि संकटग्रस्त एवं व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों का **वन विभाग** एवं **भारतीय वन्य जीव संस्थान** के सहयोग से **उत्तराखण्ड औषधीय एवं सगन्ध पादप बोर्ड** द्वारा विकसित मैनुवल (Manual) "Rapid Inventory and Mapping of the Medicinal and Aromatic Plants in Uttaranchal" के अनुसार कार्रवाही की जा सकती है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध विशेषज्ञों को भी किसी न किसी रूप में **बोर्ड** के कार्य कलापों से जोड़ कर उनके ज्ञान का लाभ प्राप्त किया जाये।

(6) **श्री ए0आर0 सिन्हा, मुख्य वन संरक्षक, प्रबन्ध** एवं **कार्ययोजना, उत्तराखण्ड** द्वारा सुझाव दिया गया कि जनसहभागिता से वनों के संरक्षण के क्षेत्र में उत्तराखण्ड में **वन पंचायतें** महत्वपूर्ण योगदान दे रहीं हैं। **जैव विविधता प्रबन्ध समितियों** के गठन व **लोक जैव विविधता दस्तावेज** बनाने में **वन पंचायतों** का भी सहयोग लिया जाये।

(7) **श्री एस0के0 सिंह, मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षण, विकास एवं अनुसंधान, उत्तराखण्ड** द्वारा सुझाव दिया गया कि **वन विभाग** के **अनुसंधान शाखा** द्वारा किये जा रहे कुछ अनुसंधान कार्य **जैव विविधता बोर्ड** के कार्यक्षेत्र से भी सम्बन्ध रखते हैं। अतः दोनों में समन्वय बनाये रखा जाना उचित होगा।

उपरोक्त सुझावों पर कार्रवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष, उत्तरांचल जैव विविधता बोर्ड, देहरादून के **धन्यवाद** के साथ बैठक का समापन हुआ !

संलग्नक :–यथोपरि।

(जय राज) 16/09/10
सदस्य–सचिव,
उत्तरांचल जैव विविधता बोर्ड,
देहरादून।

अनुमोदित

(डॉ0 बी0एस0 बरफाल)
अध्यक्ष,
उत्तरांचल जैव विविधता बोर्ड,
देहरादून।